HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

ORDER

No. 1117 /Confdl/2023 Dated 1st December, 2023
II-15-12/2000

The Madhya Pradesh Human Rights Commission (MPHRC) is organizing One day's Conference on : Prisoners Right to Health & Safety – Human Right on 10th December, 2023 at Bhopal.

Judicial Officers whose names and postings figure in the endorsement are directed to participate in the aforesaid Conference.

30/11/23

(MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA)
REGISTRAR GENERAL

Endt. No. 1118 /Confdl/2023 Dated 1st December, 2023
II-15-12/2000

Copy forwarded to :-

1. The Principal Secretary, Government of M.P., Law & Legislative Affairs Department, Vindhyachal Bhawan, Bhopal for information.

2.
   1. Shri Ramkumar Choubey, Principal District & Sessions Judge, Narmadapuram
   2. Shri Amitabh Mishra, Principal District & Sessions Judge, Bhopal
   3. Shri Krishnamurty Mishra, Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur
   4. Shri Anil Kumar Sohane, Principal District & Sessions Judge, Raisen
   5. Shri Satish Chandra Sharma (Jr.), Principal District & Sessions Judge, Sehore
   6. Shri Zakir Hussain, Principal District & Sessions Judge, Vidisha
   7. Shri Masood Ahmed Khan, Secretary, District Legal Service Authority (DLSA), Vidisha
   8. Smt. Sangeeta Yadav, Secretary, District Legal Service Authority (DLSA), Raisen
   9. Shri Shri Mukesh Kumar Dangi, Secretary, District Legal Service Authority (DLSA), Sehore

10. Shri Tajinder Singh Ajmani, Faculty Member (Senior), Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur
11. Shri Sanjay Pal Singh Bundela, Secretary, District Legal Service Authority (DLSA), Bhopal
12. Shri Goutam Bhatt, Secretary, District Legal Service Authority (DLSA), Narmadapuram
13. Smt. Varsha Singh Bhati, I Civil Judge, Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Raisen
14. Shri Chandan Singh Chauhan, I Civil Judge, Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Vidisha
15. Smt. Reetu Verma Katariya, I Civil Judge, Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Narmadapuram
16. Smt. Archna Bode, I Civil Judge, Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Sehore
17. Shri Amar Singh Sisodiya, I Civil Judge, Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Bhopal

for information with a direction to participate in one day's Conference on : Prisoners Right to Health &Safety – Human Right scheduled to be held on 10th December, 2023 at Bhopal.

3. The Chairperson (Acting), Madhya Pradesh Human Rights Commission, Bhopal for information in reference to his letter No.614, dated 22.11.2023.
4. The Principal District and Sessions Judge, Narmadapuram/ Bhopal/ Jabalpur/ Raisen/ Sehore/ Vidisha/ Jabalpur/ Bhopal for information and necessary action.
5. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA), Jabalpur for information.
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information.

(MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA)
REGISTRAR GENERAL

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

"बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार – मानव अधिकार"

("Prisoners Right to Health & Safety - Human Right")

दिनांक 10 दिसम्बर, 2023 के कार्यक्रम के विषय से संबंधित सुसंगत अतिरिक्त जानकारी :–

मध्यप्रदेश में कुल 11 केन्द्रीय जेल, 41 जिला जेल, 7 खुली जेल एवं 73 सब जेल स्थित हैं । इन जेलों में दिनांक 30.09.2023 की स्थिति में बंदियों की आवास क्षमता कुल पुरूष–27879, महिला–1956 इस प्रकार कुल 29835 है, जबकि वास्तविक रूप से इन जेलों में परिरूद्ध बंदियों की संख्या, पुरूष–45769 व महिला–1817 कुल 47586 हैं। इसके साथ ही केन्द्रीय जेलों में 70 और जिला जेलों में 71 बच्चे छः वर्ष से कम आयु के अपनी महिला बंदी माँ के साथ परिरूद्ध हैं ।

जेलों में दण्डित बंदी की कुल प्रतिशतता करीब 46 प्रतिशत और विचाराधीन बंदियों की प्रतिशतता 54 प्रतिशत है । जेलों में दाखिल बंदियों की सँख्यात्मक स्थिति देखें तो केन्द्रीय जेलों की नियत क्षमता 14644 के स्थान पर परिरूद्ध बंदी संख्या 25127, जिला जेलों में बंदियों की नियत क्षमता 9752 के स्थान पर परिरूद्ध बंदी संख्या 15171 तथा सब जेलों में बंदियों की नियत क्षमता 5321 के स्थान पर परिरूद्ध बंदियों की संख्या 7190 है।

माह अप्रैल 2017 से माह अक्टूबर 2023 तक मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में जेल अभिरक्षा में स्थित कुल 935 बंदियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई जिनके संबंध में जाँच उपरांत यह पाया गया कि इनमें से 840 प्रकरणों में जेल अभिरक्षा के बंदियों की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई जबकि 59 बंदियों की मृत्यु जेल में अभिरक्षा के दौरान उनके स्वास्थ्य की देखभाल की उपेक्षा के कारण होना पाया गया और 32 प्रकरणों में जेल अभिरक्षा में रहे बंदियों की मृत्यु जेल प्रबंधन की उपेक्षा के कारण आत्महत्या करने

का अवसर प्राप्त होने पर आत्महत्या के परिणाम स्वरूप तथा 04 बंदियों की मृत्यु प्रताड़ना/अन्य उपेक्षा के परिणाम स्वरूप होना पाया गया । इस प्रकार उपरोक्त अवधि में जेल अभिरक्षा में रहने के दौरान, जहाँ 840 बंदियों की प्राकृतिक मृत्यु होना पाया गया, वहीं 95 बंदियों की मृत्यु स्वास्थ्य की देखभाल में उपेक्षा अथवा उनकी सुरक्षा में की गई उपेक्षा के परिणाम स्वरूप अप्राकृतिक रूप से होना पाया गया । उक्त अवधि के दौरान ही 06 प्रकरणों में बंदियों के साथ जेल प्रबंधन अथवा अन्य बंदियों द्वारा प्रताड़ना किये जाने की परिस्थितियाँ भी प्रमाणित पायी गई ।

उपरोक्त अप्राकृतिक रूप से हुई मृत्यु एवं प्रताड़ना के प्रकरणों में आयोग द्वारा कुल करीब 03 करोड़ 20 लाख रूपये की प्रतिकर राशि की अदायगी मृतकों से संबंधित उत्तराधिकारियों को दिलवाये जाने की अनुशंसाऐं की गई जिनमें से अधिकांश मामलों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रतिकर राशि का भुगतान अनुशंसा के अनुरूप हितग्राहियों को किया गया है । प्रतिकर संबंधी अनुशंसा के साथ ही बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मौलिक और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भी अन्य आवश्यक अनुशंसाएं मध्यप्रदेश शासन को की जाती रहीं हैं लेकिन इसके उपरांत भी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकार, जो कि उनके मौलिक और मानव अधिकार हैं, के संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था और उचित कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं ।

धारा–55 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्पष्ट वैधानिक प्रावधान अनुसार जेल अभिरक्षा में बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व जेल प्रबंधन का है और भारत में संविधान के अनुच्छेद–21 अनुसार जेल अभिरक्षा में रहते हुए भी बंदियों को जीवन की सुरक्षा के साथ ही उचित और प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का मौलिक और उसी अनुरूप मानव अधिकार है, जिसका संरक्षण भी आवश्यक है ।

जेलों में जेल प्रबंधन एवं चिकित्सकीय प्रबंधन के स्वीकृत पदों में से पर्याप्त रिक्तियों व आवश्यक अधोसंरचना संबंधी संसाधनों के अभाव, जेलों में दाखिल बंदियों की जेल बैरकों में क्षमता से अत्यधिक संख्या और उनके स्वास्थ्य पर इस कारण पड़ रहे विपरीत प्रभाव तथा वैधानिक बाध्यताओं के अनुसार उनकी देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था में हो रही उपेक्षा को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन को ही मुख्यतः इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य परीक्षण, नियमित रूप से चिकित्सकीय जाँच, अपेक्षित इलाज की समुचित व्यवस्था, पर्याप्त अधोसंरचना का विकास, के संबंध में सुनिश्चित करना है । जेल में दाखिल बंदियों के संबंध में मुख्यतः जिला स्तरीय न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों और जेल निरीक्षणकर्ता न्यायिक अधिकारियों का भी इसी संदर्भ में उत्तरदायित्व होने से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है ।

——0——